# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —5 / 2026 (अपील)
जीसीएमएस न0 2026 / 14

1. सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री गणेशराम जाति रेगर निवासी उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

——अपीलाण्ट.

*बनाम*

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा
2. उत्तम प्रकाश पुत्र श्री तोलाराम जाति रेगर निवासी सरकारी स्कूल के पास हाथी खेड़ा तह. लाडपुरा जिला कोटा राज.

——रेस्पोडेन्ट.

**अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 6.12.2025 तहसीलदार लाडपुरा कोटा**

उस्थिति
1 श्री सम्पूर्णानन्द, अभिभाषक अपीलान्ट
2 पेरोकार सरकार
3 रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित

## *निर्णय*

दिनांक— 17.03.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 275 खसरा नं0 1239 / 1000 रकबा 0.54 हे0 खातेदार रामनार्थी पत्नि स्व0 ओंकार के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार की मृत्यु होने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आलेखित वसीयत क आधार पर उक्त वर्णित भूमि रेस्पो0 नं0 2 व अपीलांट के नाम संभाग से 1 / 2, 1 / 2 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 10.9.2025 जारी किया गया । मुताबिक वसीयत आदेश के नामान्तकरण संख्या 1045 दिनांक 4.12. 2025 तहसीलदार लाडपुरा ने स्वीकृत किया गया ।
2. वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 04.12.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 26.12.2025 को पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 2 उत्तम प्रकाश स्वयं उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ताईजी रामनाथी पत्नी स्व. श्री ओंकार जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती देहीत बून्दी के नाम उसके कब्जे काश्त की आराजी पुराना खाता सं. 79, नया खाता सं. 275 की खसरा संख्या 1239 / 1000 क्षैत्रफल 0.54 हे0 वाके ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा में स्थित थी जिनके कोई सन्तान नहीं हाने तथ वृद्वावस्था के कारण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 कीसेवा से प्रसन्न होकर उक्त आराजी की रामनाथी ने वसीयत दिनांक 22.12.2022 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में की गई थी जिसका उप पंजीयक कोटा प्रथम के कार्यालय में दिनांक 22.12.2022 को हो रखी है । रामनाथी ने अपनी वसीयत में उपरोक्त आराजी में से रेस्पोडेन्ट कम 2 उत्तम प्रकाश को 0.22 हे0 आराजी पूर्वी दिशा वाली दी गई तथा अपीलान्ट सुरेश कुमार को 0.32 हे0 आराजी पश्चिमी दिशा वाली दी गई थी उसके

उपरान्त श्रीमती रामनाथी पत्नी स्व. श्री औंकार जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती देहित बून्दी का स्वर्गवा दिनांक 2.8.2024 को होने के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने उपरोक्त आराजी पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाकर खाते में नामदर्ज करने का आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 तहसीलदार लाडपुरा कोटा में पेश किया गया था । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपीलांट के आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज पूर्णरूप से जांच की गई जिसमें प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयत में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पटवारी हल्का देहित तह0 तालेडा से दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त की तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नयानोहरा से ली गई तथा वसीयत के गवाहान के बयान दर्ज कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने निर्णय दिनांक 10.9.2025 को किया गया । जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके पक्ष में संमभाग दर्ज का आदेश किया गया जिसकी पालना में उपरोक्त आराजी पर नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 6.12.2025 को खोला गया जिसमें उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उक्त निर्णय पारित करते समय खातेदार श्रीमती रामनाथी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 22.12.2022 का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया गया तथा निर्णय के आधार पर उपरोक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसमें उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण है । उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि खातेदार श्रीमती रामनाथी ने उसके खाते कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1239/1000 क्षैत्रफल 0.5400 हे0 की वसीयत दिनांक 22.12.2022 की गई । जिसमें स्पष्ट अंकित किया था कि मेरा भतीजा उत्तम प्रकाश व मेरे देवर के पुत्र सुरेश कुमार वर्मा की सेवा, प्रेम व स्नेह से प्रभावित होकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1239 /1000 रकबा 0.5400 हे0 किस्म माल प्रथम वाके ग्राम मण्डानिया पटवार हल्का नयानोहरा में से 0.2200 हे0 आराजी पूर्वी दिशा वाली आराजी की वसीयत उत्तम प्रकाश निवासी सरकारी स्कूल के पास हाथीखेडा तहसील लाडपुरा के पक्ष में एवं 0.3200 हे0 आराजी पश्चिमी दिशा वाली आराजी की वसीयत सुरेश कुमार निवासी उम्मेदगंज कोटा के पक्ष में करती है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय उक्त तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए उपरोक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का भी 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश किया है जो न्याय पारित सिद्वान्तों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का उपरोक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा दर्ज होने के उपरान्त से रेस्पोडेन्ट क्रम 2 अपने हिस्से की आराजी को बेचान करने पर आमादा है अगर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने उपरोक्त आराजी का बेचान कर खुर्द बुर्द कर दिया गया तो अपीलान्ट को काफी क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा पारित वसीयत का आदेश दिनांक 9.10.2025 को अपास्त किया जाकर आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 6.12.2025 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के हिस्से में उपरोक्त आराजी ख.नं. 1239/1000 रकबा 0.5400 हे0 वाके ग्राम मण्डानिया पर वसीयत दिनांक 22.12.2022 के आधार पर रकबा 0.3200 हे0 पश्चिमी दिशा वाली दर्ज करने का आदेश दिया जाये और वसीयत के अनुसार ही नामान्तरकरण खोला जाये ।

4. रेस्पोडेन्ट उत्तम प्रकाश पुत्र श्री तोलाराम जाति रेगर निवासी हाथीखेड़ा ने कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं कर स्वयं उपस्थित होकर अपील का समर्थन करते हुए वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण स्वीकृत करने में अपनी सहमति दी है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिणामतः अपीलान्ट ने यह वसीयत के आदेश दिनांक 9.10.2025 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 6.12.2025 से ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 275 खसरा नं0 1239/1000 रकबा 0.54 हे0 खातेदार रामनाथी पत्नि स्व0 ओंकार के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड भूमि का खातेदार की मृत्यु होने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आलेखित वसीयत के आधार पर उक्त वर्णित भूमि रेस्पो0 नं0 2 व अपीलांट के नाम संभाग से 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज करने पर दिनांक 26.12.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है ।

6. वकील अपीलांट का तर्क है कि तहसीलदार लाडपुरा ने ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 275 खसरा नं0 1239/1000 रकबा 0.54 हे0 खातेदार रामनाथी की मृत्यु उपरान्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आलेखित वसीयत क आधार पर वर्णित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज न करके अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त वर्णित भूमि संभाग से 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज कर दी गई, जबकि वसीयत में में 0.22 हे0 उत्तम प्रकाश रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम एवं 0.32 हे0 अपीलान्ट सुरेश कुमार वर्मा के नाम दर्ज की जानी थी, इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वसीयत के मुताबिक आदेश पारित नहीं किया है । प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा भी उपस्थित होकर वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण स्वीकृत करने में सहमति प्रकट की है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन वसीयत का आदेश दिनांक 9.10.2025 एवं मुताबिक आदेश के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 6.12. 2025 अपास्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वसीयत दिनांक 22.12.2022 के मुताबिक नवीन आदेश पारित करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा